

फर्द अहकाम

न्यायालय

- न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बरसी, जयपुर

अप्रार्थीगण

दिनांक

बनाम

अचरोल गृह निर्माणय सहकारी समिति व अन्य

50/22(2022/1986N)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गन्त धारा 212 आर.टी.एक्ट


दिनांक
आज्ञा या
कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण


07.2022

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी के अधिवक्ता श्री गिरिराज प्रसाद कुमार द्वारा विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गन्त धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश किया गया। वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय वहस सुनी गई। न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत दस्तावेजो का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की वहस का ध्यान पूर्वक मनन किया गया तो हम पाते है कि वकील प्रार्थी को एकपक्षीय स्थगन दिया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये नोटिस जारी हो। पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 25/07/2022 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
बरसी, जयपुर


25/7/22

पत्रावली आज पेश हुई पत्रावली वालो ईनाद
पक्षकार हेतु दिनांक 28/7/2022 को
पेश हो।



उप खण्ड अधिकारी
बरसी (जिला जयपुर)

28/7/22

पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रार्थी अस्थित
अप्रार्थीगण की तामील परीत 20/7/22 एड्वोकेट
करवाकर डाक बसीद पेश कर दी है अप्रार्थी
आ दिनांक तक न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं है।
हाजा अप्रार्थी के पत्रावली का अक्सर बंद किया
जाता है। न्यायालय हाजा के द्वारा पत्रावली एवं
पत्रावली पर अक्षय रिकॉर्ड का सावधानी पूर्वक
अवलोकन किया गया तो हम पाते है कि वायदास्त


उप खण्ड अधिकारी
बरसी (जिला जयपुर)

आराजी खसरा नं० 26 रकवा 0.0253 एवं
 खसरा नं० खसरा नं० 87 रकवा 0.7334 वाकिचाम
 रामसिंह पुरा पत्वार हलका मूडवाल ग्रं.अं.जिला
 कानोता महल वस्ती के राजस्व रिकॉर्ड वार्तमान
 जमाबंदी में माफ़ी भदिर रीफरेंस बनाकर
 प्रस्तुत कर दिया गया है जो नोट अफ़िल किया
 हुआ है तथा वार्तमान में माफ़ी भदिर को रीफरेंस
 वृत्ताधिक राजस्व रिकॉर्ड विचारायिन है। ऐसी स्थिति
 प्राधी गण को किसी भी प्रकार की हानि होना पुर
 नही होता है तथा नही प्राधी का अध्यायी निधे जरा
 जारी किया जाना उचित होगा आत! उपरोक्त विवेचन
 के आधार पर प्राधी का प्राधिन पत्र खारिज किया
 जाता है। प्राधेली जलल वृद्धा होकर पत्र नम्बर
 से कम होने पर प्राधिल जपत है।
 निर्णय आज दिनांक 28/7/22 को स्थली न्यायालय
 एवं श्री जलालस सुनाया गया।


 उप खण्ड अधिकारी
 वस्ती (जिला जयपुर)